पत्र संख्या–6/योजना–01–24/2016गृ0आ0............................/

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक अप्रील, 2016

विषयः– **राज्य के थाना/ओ0पी0, जिला मुख्यालय एवं पुलिस के विभिन्न इकाईयों में कार्यरत VHF वितंतु संचार व्यवस्था को Digital पद्धति में बदलने हेतु Digital VHF सेटों एवं अन्य उपकरणों के क्रय हेतु प्रथम चरण के लिए अनुमानित लागत राशि ₹ 936.00 लाख (नौ करोड़ छत्तीस लाख रू0) की नयी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं ₹ 936.00 लाख (नौ करोड़ छत्तीस लाख रू0) विमुक्त करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के पत्रांक–20/पी0पी0ओ0, दिनांक–04.03.2016 के संबंध में कहना है कि राज्य के थाना/ओ0पी0, जिला मुख्यालय एवं पुलिस के विभिन्न इकाईयों में कार्यरत VHF वितंतु संचार व्यवस्था को Digital पद्धति में बदलने हेतु Digital VHF सेटों एवं अन्य उपकरणों के क्रय हेतु प्रथम चरण में वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए कुल अनुमानित लागत राशि ₹ 936.00 लाख (नौ करोड़ छत्तीस लाख रू0) की नयी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं ₹ 936.00 लाख (नौ करोड़ छत्तीस लाख रू0) विमुक्त करने की स्वीकृति दी जाती है। उपकरणों की संख्या एवं प्रति अद्द दर निम्नलिखित है :–

Sl.	Name of Equipments	No. of Equipments	Estimated Rate per unit	Estimated Total cost ₹ In Lakh
1.	25 Watt VHF Digital Set	1130	50000.00	565.00
2.	5 Watt VHF Digital Hand held Set	761	40000.00	304.40
3.	VHF Repeater Set	21	60000.00	12.60
4.	100 ft Self Supported Tower	6	900000.00	54.00
			Total	**936.00**

2. उपर्युक्त विमुक्त राशि ₹ 936.00 लाख (नौ करोड़ छत्तीस लाख रू0) राज्य योजनान्तर्गत माँग संख्या–22 के बजट शीर्ष–"2055–पुलिस–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–115–पुलिस बल का आधुनिकीकरण उपशीर्ष–0102–पुलिस प्रशासन एवं ढाँचागत सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन हेतु" विपत्र कोड–P2055001150102 एवं विषय शीर्ष–52 01–मशीने एवं उपस्कर, राज्य योजना स्कीम कोड–HOM–5416 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

4. बिहार कोषागार संहिता 2011 में विहित विपत्र पर राशि की निकासी की जायेगी।

5. राशि निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यकतानुसार कागजातों को संलग्न किया जायेगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

7. उपयोगिता प्रमाण–पत्र तीन माह के अन्तर्गत समर्पित किया जायेगा।

8. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

9. प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन संचिका संख्या– 6/योजना–01–24/2016गृ0आ0 के पृष्ठ सं0–3/टि0 पर दिनांक–14.04.2016 को प्राप्त है।

10. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–6/योजना–01–24/2016गृ0आ0 के पृष्ठ सं0– 5/टि0 पर दिनांक–25.04.2016 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह0/–
(आमिर सुबहानी)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–6/योजना–01–24/2016गृ0आ0 3507 / पटना, दिनांक 03 अप्रील, 2016

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार पटना/अपर पुलिस महानिदेशक (आधुनिकीकरण), बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन), बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2-5-16

सरकार के प्रधान सचिव